ए.

अमरीक सिंह

वी.

पंजाब राज्य

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 993) 11 जुलाई, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

आपराधिक मुकदमाःटेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड-टी. आई. दोषसिद्धि मामले पर प्रभाव-अपीलार्थी और दो अन्य लोगों ने कथित रूप से डकैती की और डकैती के दौरान पीड़ित की हत्या कर दी-शिकायतकर्ता-चश्मदीद-गवाह द्वारा एफ. आई. आर.-यू/एस. एस.302 आर/डब्ल्यू 34 और 392 और निम्नलिखित अदालतों द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःअभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि वादी और मृतक के पास नकदी थी और इसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा लूटा गया था-पूरी तरह से अदालत कक्ष में पहली बार वादी -नेत्र-गवाह द्वारा आरोपी की पहचान के आधार पर दोषसिद्धि-इससे पहले जांच एजेंसी द्वारा कोई टी. आई. पी. नहीं की गई थी-जब कोई टी. आई. पी. नहीं की गई थी तो वादी का पहला संस्करण जो एफ़. आई. आर. में परिलक्षित होता था, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा-हालाँकि, वादी के पहले बयान में एफ़. आई. आर. के रूप में और अदालत के समक्ष बयान में कुछ विरोधाभास थे, इस प्रकार, टी. आई. पी. आवश्यक था-केवल अदालत में पहली बार उनकी पहचान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित और/या विवेकपूर्ण नहीं होगा-दोषसिद्धि -302 आर/डब्ल्यू एस।34,एस. 392.

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ताओं**-**अभियुक्तों को मुख्य रूप से न्यायालय कक्ष में पीडब्लू**1** द्वारा अभियुक्त की पहचान करने और अभियुक्त व्यक्तियों से

प्रत्येक से **1** लाख रुपये की बरामदगी पर दोषी ठहराया गया है जो अभियुक्तों द्वारा सुझाए गए स्थानों से बरामद किए गए थे।इस प्रकार, तत्काल मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि पूरी तरह से अदालत कक्ष में पीडब्लू**1** द्वारा अभियुक्त की पहचान पर होती है।इससे पहले जांच एजेंसी द्वारा कोई टी. आई. पी. नहीं की गई है।**[**पैरा **6] [458-**जी-एच**]**

जी.

एच.

451 ए.

1.2 जहां तक अभियुक्तों में से प्रत्येक से **1** लाख रुपये की वसूली के आधार पर दोषसिद्धि का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निचली अदालत ने भी विशेष रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मूल वादी और मृतक स्कूटर की डिक्की में **5** लाख रुपये नकद ले जा रहे थे जैसा कि आरोप लगाया गया है।**5** लाख रुपये की लूट के साक्ष्य का संचालन करने के लिए अभियुक्त को जोड़ने के लिए, मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करने और साबित करने की आवश्यकता थी कि वह व्यक्ति जिससे वह राशि लूटी गई थी।इसके बाद अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करने और साबित करने की आवश्यकता होती है कि आरोपी से बरामद की गई राशि वही राशि है जो शिकायतकर्ता/वह व्यक्ति जिससे राशि लूटी गई है।यहां तक कि निचली अदालत ने भी प्रत्येक आरोपी से **1** लाख रुपये की वसूली पर ज्यादा जोर नहीं दिया है।जब अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि वादी और मृतक के पास स्कूटर की डिक्की में **5** लाख रुपये नकद थे और यह लूट की गई राशि थी जो आरोपी से बरामद की गई थी, तो कुछ नकदी की वसूली के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। **[**पैरा **6.1] [459-**ए-डी**]**

बी.

सी.

डी.

1.3 जहाँ तक संबंध का संबंध है, पी. डब्ल्यू. **1-**चश्मदीद गवाह पर आरोपी की दोषसिद्धि का संबंध है जो अदालत कक्ष में आरोपी की पहचान करता है और टी. आई. पी. का संचालन नहीं करता है, जबकि उक्त पहलू की सराहना करते हुए पी. डब्ल्यू. **1-**चश्मदीद गवाहों द्वारा दी गई एफ़. आई. आर. में कथनों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।यह सच हो सकता है कि एफ. आई. आर. विश्वकोश नहीं हो सकती।हालाँकि, उसी समय जब कोई टी. आई. पी. आयोजित नहीं किया गया था, वादी का पहला संस्करण जो एफ. आई.

आर. में परिलक्षित होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या एफ. आई. आर. और/या पहले संस्करण में चश्मदीद गवाह ने या तो आरोपी की पहचान और/या विवरण का खुलासा किया है जिसके आधार पर वह बयान के समय याद कर सकता है और अदालत कक्ष में पहली बार आरोपी की पहचान कर सकता है? उसके पहले बयान में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उसने आरोपी को पहले देखा था और वह आरोपी की पहचान करने में सक्षम होगा।उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय में पीडब्लू1 के बयान और न्यायालय में पहली बार अभियुक्त की पहचान करने की सराहना की जानी चाहिए।[अनुच्छेद **6.2,3] [459-D-G; 460-D-E] A**

ई.

एफ.

जी.

एच.

453

अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य ए

1.4 एफ. आई. आर. के रूप में दर्ज वादी के पहले बयान और अदालत के समक्ष बयान में कुछ विरोधाभास हैं।अदालत के समक्ष बयान में, उन्होंने यह बयान देकर मामले में सुधार करने की कोशिश की है कि उन्होंने एक या दो मौकों पर आरोपी को शहर में देखा था।एफ. आई. आर. में इसका खुलासा नहीं किया गया था। यहां तक कि पी. डब्ल्यू. **1** द्वारा स्वीकार की गई जिरह में भी उन्होंने आरोपी के बारे में कोई विवरण नहीं दिया।इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू1 ने विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि यह गलत है कि अभियुक्तों को पहले से जाना जाता था।उन्होंने केवल आरोपी की उम्र का खुलासा किया।मामले के उस दृष्टिकोण में टी. आई. पी. का संचालन आवश्यक था और इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अदालत में पहली बार पी. डब्ल्यू. **1** द्वारा केवल उनकी पहचान पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।[पैरा **6.4] [461-**ई-एच]

बी.

सी.

1.5 निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने आरोपी को दोषी ठहराने में गंभीर गलती की।निचली अदालत द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **34** और धारा **392** के साथ क्रमशः धारा **302** के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्णय और आदेश अस्थिर हैं और उन्हें रद्द कर दिया

जाता है और अभियुक्तों को उन आरोपों से बरी कर दिया जाता है जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।**[**पैरा **7] [463-**ए**-**बी**]**

डी.

मलखानसिंह और ओआरएस. वी.मध्य प्रदेश राज्य

ई.

(2003) 5 एससीसी 746:[2003] 1 पूरक।एससीआर 443; मो. कलाम बनाम राजस्थान राज्य (2008) 11 एससीसी 352:[2008] 5 एससीआर 22-प्रतिष्ठित।

मामला कानून संदर्भ

एफ.

[2003] 1 पूरक।एससीआर **443**

प्रतिष्ठित

पैरा **6.5**

[2008] 5 एससीआर **22**

प्रतिष्ठित

पैरा **6.6**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2012 की आपराधिक अपील संख्या 993।

2004 की आपराधिक अपील संख्या 645-डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 01.04.2011 के निर्णय और आदेश से।

जी.

एच.

के साथ

2012 की आपराधिक अपील संख्या 992।

सुश्री रूहिना दुआ, सुश्री मानसी गुप्ता, संग्राम सरों, श्री पाल सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री ऋचा कपूर, सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री ऐश्वर्या मिश्रा, कुणाल आनंद, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में 2004 की आपराधिक अपील और 2004 की आपराधिक अपील में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभियुक्त द्वारा दायर उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है और आरोपी अमरीक सिंह और सुभाष चंदर को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 और धारा 392 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है, अभियुक्त अमरीक सिंह और सुभाष चंदर ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

सी.

डी.

2. कि यहाँ अपीलार्थी पर सुभाष चंदर और प्रितपाल सिंह के साथ डकैती के दौरान डकैती करने और ज्ञान चंद (मृतक) की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक ज्ञान चंद, मृतक के पिता मुंशी राम और वादी देस राज (पीडब्लू1) उप-पंजीयक जिला फाजिल्का के कार्यालय से आगे बढ़ रहे थे और मृतक के पिता को स्थानीय बस स्टैंड पर छोड़ने के बाद वे अपने गांव की ओर बढ़ गए।यह भी आरोप लगाया गया कि उनके गांव जाते समय तीन लोग स्कूटर पर आए और उन्हें रोकने की कोशिश की।जब स्कूटर चला रहा वादी नहीं रुका, तो सह-आरोपी सुभाष चंदर ने वादी की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया, जिसके बाद स्कूटर रुक गया और वादी को अस्थायी रूप से अंधा कर दिया गया।कि तीनों ने वादी का स्कूटर छीनने की कोशिश की और उक्त हाथापाई में, उपस्थित अपीलार्थी-आरोपी-अमरीक सिंह ने मृतक ज्ञान चंद को सीने में गोली मार दी।वादी खेतों में पहुंचा और लौटने पर उसने देखा कि हमलावर स्कूटर ले गए हैं और ज्ञान चंद बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी छाती से खून बह रहा था।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार मकसद ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

455

अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

यह था कि मृतक के पिता ने वादी के बेटों (पीडब्लू1) के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया था, जिसके लिए वे उप-पंजीयक के कार्यालय गए थे।बिक्री के लिए भुगतान नहीं किया गया था और 5 लाख रुपये की राशि स्कूटर के डिक्की में थी, जिसे हमलावरों ने चुरा लिया था।इसके बाद पीडब्लू1 पुलिस स्टेशन चला गया।उनका बयान पीडब्लू11 के निरीक्षक कर्मजीत सिंह ने दर्ज किया, जो घटना स्थल पर पहुंचे और ज्ञान चंद का शव वहां पड़ा पाया। उन्होंने शव का पंचनामा रिपोर्ट तैयार की।उन्होंने आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।पीडब्लू6 डॉ. एम. एम. सिंह ने ज्ञान चंद के शव का पोस्टमार्टम किया।आई. डी. 1 पर शाम 6:30 बजे पोस्टमॉर्टम किया गया था। चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृत्यु परीक्षा से लगभग 6 घंटे पहले हो सकती थी।अनुसंधान के दौरान सुभाष चंदर और अमरीक सिंह-अभियुक्तों को अपीलार्थी आरोपी अमरीक सिंह के खुलासा बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।एएसआई-पीडब्लू 7 ने 5 लाख रुपये में से कथित रूप से लूटे गए 1 लाख रुपये की राशि बरामद की, जिसे वादी पीडब्लू 1 के अनुसार स्कूटर की डिक्की में रखा गया था।सह-अभियुक्त सुभाष चंदर के प्रकटीकरण बयान के आधार पर एक लाख रुपये की और राशि बरामद की गई।अनुसंधान पूरी होने के बाद आई. ओ. ने आरोप पत्र दाखिल किया।चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था। अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 397 के साथ पठित धारा 302/34 और 392 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

2.1 अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें पी. डब्ल्यू. 1 मूल वादी -चश्मदीद गवाह-पी. डब्ल्यू. 11 इंस्पेक्टर, डॉ. एम. एम. सिंह-पी. डब्ल्यू. 6 और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे।अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह के बाद अभियुक्तों से पूछताछ की गई और धारा 313 Cr.P.C के तहत उनके आगे के बयान दर्ज किए गए।अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली सभी

आपत्तिजनक परिस्थितियों को उनके सामने रखा गया था ताकि वे इसका स्पष्टीकरण दे सकें। उन्होंने ऐसी सभी परिस्थितियों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही का अनुरोध किया। इसके बाद साक्ष्य की सराहना और मुख्य रूप से पीडब्लू1-मूल वादी , जिसे चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था, के बयान पर भरोसा करने और आरोपी द्वारा सुझाए गए स्थान से 1 लाख रुपये की बरामदगी पर, विद्वत निचली अदालत ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 और 392 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और आरोपी को मृतक ज्ञान चंद की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एफ.

जी.

एच.

456

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

2.2 भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302/34 और 392 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले विद्वत निचली अदालत के फैसले और दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, आरोपी अमरीक सिंह और सुभाष चंदर ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2004 की आपराधिक अपील No.645-DB और 2004 की आपराधिक अपील No.563 को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है।3. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रूहिना दुआ ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य दोनों में, विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को क्रमशः धारा 34 और धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता सी. के साथ पठित दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है।

बी.

सी.

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार अपीलार्थीगण को पीडब्लू1-मूल वादी -मुखबिर के बयान और पीडब्लू1 द्वारा न्यायालय में अभियुक्त की पहचान पर दोषी ठहराया गया है।

डी.

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियुक्त की पहचान करने के लिए कोई परीक्षण पहचान परेड (इसके बाद 'टी. आई. पी.' के रूप में संदर्भित) आयोजित नहीं की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में टी. आई. पी. का संचालन न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए अधिक घातक है, विशेष रूप से जब पी. डब्ल्यू. 1 मूल वादी है जिसने आई. ओ. के समक्ष और यहां तक कि एफ. आई. आर. में भी अभियुक्त के किसी भी विवरण का खुलासा नहीं किया है।

ई.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक-एक लाख रुपये की कथित वसूली पर अभियुक्त की दोषसिद्धि भी टिकाऊ नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने भी अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले पर अविश्वास किया है कि वादी और मृतक स्कूटर की डिक्की में 5 लाख रुपये ले जा रहे थे।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी और मृतक द्वारा स्कूटर में 5 लाख रुपये ले जाने का तथ्य साबित और साबित नहीं हुआ है, प्रत्येक आरोपी से 1 लाख रुपये की वसूली महत्वहीन हो जाती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष को प्रमुख ठोस साक्ष्य के माध्यम से यह साबित करना होता है कि वादी और मृतक स्कूटर की डिक्की में 5 लाख रुपये ले जा रहे थे जैसा कि आरोप लगाया गया है और आरोपी से बरामद की गई राशि वही राशि है जो वादी और मृतक स्कूटर में ले जा रहे थे।

एफ.

जी.

एच.

457

अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियुक्त को न्यायालय में पीडब्लू1 द्वारा अभियुक्त की पहचान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो पहली बार है और प्रत्येक अभियुक्त से 1 लाख रुपये की वसूली के आधार पर है।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियुक्त की पहचान पर किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में और यह देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की पहचान को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, केवल पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा अभियुक्त की पहचान के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अदालत में पहली बार वारंट नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय में पहली बार अभियुक्त की पहचान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।

बी.

सी.

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, अभियुक्त को बरी करने की प्रार्थना की जाती है।4. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऋचा कपूर द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।

4.1 राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में जब पीडब्लू1-चश्मदीद ने अदालत कक्ष में आरोपी की पहचान कर ली है, तो टी. आई. पी. का संचालन न करने से मुकदमे और अभियोजन पक्ष के मामले को दूषित नहीं किया जाएगा।

डी.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू1-वादी एक चश्मदीद गवाह है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने अदालत में गवाही दी है कि "उन लड़कों में से एक ने ज्ञान चंद पर बंदूक से गोली चलाई जो उनके सीने पर दिल की सीट पर लगी।उक्त तीनों युवक आरोपी हैं जो आज अदालत में उपस्थित हैं।(गवाह ने एक आरोपी की ओर उस व्यक्ति के रूप में इशारा किया है जिसने ज्ञान चंद पर गोली चलाई थी और आरोपी ने अपना नाम अमरीक सिंह बताया है)।एक तरफ खड़े आरोपी ने मेरी आँखों में मिर्च पाउडर डाल दिया था (गवाह द्वारा बताए गए आरोपी का नाम सुभाष चंदर के रूप में सामने आया है)।

ई.

एफ.

4.3 राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मामले में टी. आई. पी. का संचालन न करने से मुकदमा और/या अभियोजन पक्ष का मामला दूषित नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. आई. पी. केवल अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है कि वास्तविक अपराधी के खिलाफ अनुसंधान सही दिशा में चल रही है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह उन गवाहों की स्मृति को ताज़ा करने के लिए भी आयोजित किया जाता है जिन्होंने आरोपी को देखा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में कहा गया है, टी. आई. पी. मूल साक्ष्य नहीं है और वास्तव में मूल साक्ष्य न्यायालय में पहचान का है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. आई. पी. का आयोजन, यदि अभियुक्त को पता नहीं है

जी.

एच.

वादी को पहले यह पता लगाना होता है कि क्या अनुसंधान उचित तरीके से और उचित निर्देश के साथ की जा रही है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में साक्ष्य में स्वीकार्य है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षण पहचान परेड की अनुपस्थिति अदालत में अभियुक्त की पहचान करने वाले गवाह की गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी मामले में भी, न्यायालय यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष के गवाह की गवाही विशेष रूप से एक चश्मदीद गवाह की गवाही उत्कृष्ट गुणवत्ता की है, और विश्वसनीय है, तो ऐसे गवाह की गवाही को अदालत में आरोपी की पहचान के संबंध में स्वीकार किया जा सकता है और उक्त गवाही पर बिना किसी संदेह के दोषसिद्धि को कायम रखा जा सकता है। राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले उपरोक्त विद्वान अधिवक्ता के समर्थन में इस मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है

बी.

सी.

मलखानसिंह और ओआरएस। बनाम मध्य प्रदेश राज्य**; (2003) 5** एस**.** सी**.** सी**. 746 (**पैरा **16** और **17)** और मो**.** कलाम बनाम राजस्थान राज्य**, (2008) 11** एससीसी **352 (**पैरा **7)**।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी अभियुक्त से और अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान से 1 लाख रुपये की वसूली हुई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से आरोपी समझाने में विफल रहे हैं और/या प्रत्येक एक लाख रुपये की वसूली का हिसाब देने में विफल रहे हैं।

डी.

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 (जहां तक अभियुक्त सुभाष चंदर का संबंध है) के साथ पठित धारा 302 और 392 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है।

ई.

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. सुना है।हम विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश और दर्ज किए गए निष्कर्षों को देख चुके हैं।हमने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य को बारीकी से देखा है, विशेष रूप से एफ. आई. आर. के साथ-साथ पी. डब्ल्यू. 1 के बयान को भी।

एफ.

6. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थीगण-अभियुक्तों को मुख्य रूप से अदालत कक्ष में पीडब्लू1 द्वारा अभियुक्त की पहचान करने और अभियुक्त व्यक्तियों से प्रत्येक से 1 लाख रुपये की बरामदगी पर दोषी ठहराया गया है जो अभियुक्त द्वारा सुझाए गए स्थानों से बरामद किए गए थे।इस प्रकार, वर्तमान मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि पूरी तरह से अदालत कक्ष में पीडब्लू1 द्वारा अभियुक्त की पहचान पर है।इससे पहले जांच एजेंसी द्वारा कोई टी. आई. पी. नहीं की गई है।

जी.

एच.

459

अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

6.1 अब जहाँ तक अभियुक्तों में से प्रत्येक से एक-एक लाख रुपये की वसूली के आधार पर दोषसिद्धि का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने भी विशेष रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मूल वादी और मृतक स्कूटर की डिक्की में 5 लाख रुपये नकद ले जा रहे थे जैसा कि आरोप लगाया गया है।5 लाख रुपये की लूट के साक्ष्य का संचालन करने के लिए अभियुक्त को जोड़ने के लिए, मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करने और साबित करने की आवश्यकता थी कि वह व्यक्ति जिससे वह राशि लूटी गई थी।इसके बाद अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करने और साबित करने की आवश्यकता होती है कि आरोपी से बरामद की गई राशि वही राशि है जो शिकायतकर्ता/वह व्यक्ति जिससे राशि लूटी गई है।यहां तक कि विद्वत विचारण न्यायालय ने भी अभियुक्तों में से प्रत्येक से 1 लाख रुपये की वसूली पर ज्यादा जोर नहीं दिया है।चाहे हमारी यह राय हो कि जब अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि वादी और मृतक के पास स्कूटर की डिक्की में 5 लाख रुपये नकद थे और यह लूट की गई राशि थी जो आरोपी से बरामद की गई थी, तो आरोपी को कुछ नकदी की वसूली के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

6.2 अब जहाँ तक पी. डब्ल्यू. 1 पर अभियुक्त की दोषसिद्धि-न्यायालय कक्ष में अभियुक्त की पहचान करने वाले चश्मदीद गवाह और टी. आई. पी. का संचालन न करने का संबंध है, उक्त पहलू की सराहना करते हुए पी. डब्ल्यू. 1-चश्मदीद गवाहों द्वारा दी गई एफ़. आई. आर. में दिए गए कथनों को संदर्भित करने की आवश्यकता है।यह सच हो सकता है कि कानून की स्थिर स्थिति के अनुसार एफ. आई. आर. विश्वकोश नहीं हो सकती है।हालाँकि, उसी समय जब कोई टी. आई. पी. आयोजित नहीं किया गया था, वादी का पहला संस्करण जो एफ. आई. आर. में परिलक्षित होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या एफ. आई. आर. और/या पहले संस्करण में चश्मदीद गवाह ने या तो आरोपी की पहचान और/या विवरण का खुलासा किया है जिसके आधार पर वह बयान के समय याद कर सकता है और अदालत कक्ष में पहली बार आरोपी की पहचान कर सकता है? अभियुक्त की पहचान पर एफ. आई. आर. को देखने के बाद यह निम्नानुसार कहा गया हैः

ई.

एफ.

“मैं स्कूटर चला रहा था और ज्ञान चंद मेरे पीछे बैठे थे।जब हम फाजिल्का ए बोहर जी. टी. रोड से करीब डेढ़-डेढ़ किलोमीटर आगे लिंक रोड शटरवाला पर थे, तो पीछे से स्कूटर पर तीन युवक हमारे साथ पहुंचे, उनमें से दो साफ मुंडन वाले युवक जिनकी उम्र आईडी1 वर्ष है और एक सिख (सरदार) जिसने लगभग 30-32 वर्ष की उम्र के कपड़े का एक टुकड़ा (ठठी) बांधा था, जो बीच में बैठा था।

जी.

एच.

12 बोर की छोटी बैरल की बंदूक लिए इन तीनों युवाओं ने हमारे साथ पहुँचते हुए हमें रोकने की कोशिश की।जब हम नहीं रुके तो स्कूटर की पीछे की सीट पर बैठे एक साफ मुंडन किए हुए युवक ने हमारे चेहरे पर ठंडा पाउडर फेंक दिया और अपने हाथ से आंखें भर लीं, जिसके परिणामस्वरूप हम देख नहीं पाए और हमने अपने स्कूटर को असहाय होने से रोक दिया और आंखों पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें खोल दीं।इस बीच इन युवाओं ने हमारे स्कूटर के आगे अपने स्कूटर रोक दिए और हमारा स्कूटर छीनने के लिए आगे आए।हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, इस बीच एक सिख युवक ने ज्ञान चंद पर अपनी 12 बोर की बंदूक से

जोरदार तरीके से गोली चलाई, जिससे वह छाती पर लग गया, जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया।"

बी.

सी.

6.3 इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जाता है कि यह कहने के अलावा कि आरोपी तीन युवा व्यक्ति थे, जिनमें से दो साफ मुंडन किए गए थे और एक सिख (सरदार) जिसने 30-32 वर्ष की आयु की (ठठी) बांधी थी, वादी -पीडब्लू1 द्वारा आगे कोई विवरण नहीं दिया गया था। उसके पहले बयान में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उसने आरोपी को पहले देखा था और वह आरोपी की पहचान करने में सक्षम होगा।उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय में पीडब्लू1 के बयान और न्यायालय में पहली बार अभियुक्त की पहचान करने की सराहना की जानी चाहिए।मुख्य परीक्षा में, पीडब्लू1 ने निम्नानुसार कहा हैः

डी.

"जब हम जी. टी. रोड से लगभग आठ कि. मी. की दूरी तय करके शटरवाला के लिंक रोड पर जा रहे थे, तो दोपहर करीब तीन बजे पीछे से तीन युवक स्कूटर पर आए।उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की लेकिन हम नहीं रुके।उन्होंने हमारा स्कूटर ले लिया और मेरी आँखों में मिर्च पाउडर डाल दिया।वह ठंडा पाउडर मेरी दाहिनी आंख में घुस गया और मुझे अपना स्कूटर रोकना पड़ा।आंख रगड़ने के बाद मैंने वही खोला।गेन चंद मेरे स्कूटर से उतर गया।"

ई.

एफ.

XXX XXX XXX

"तीन युवाओं में से दो युवाओं ने मेरा स्कूटर छीनने की कोशिश की।ज्ञान चंद मेरे समानांतर आए और उन लड़कों को स्कूटर छीनने से रोकने की कोशिश की।उन लड़कों में से एक ने ज्ञान चंद पर गोली चलाई जो उनके सीने में दिल की सीट पर लगी।तीनों कथित युवा व्यक्ति आरोपी हैं जो आज अदालत में मौजूद हैं (गवाह ने एक आरोपी की ओर उस व्यक्ति के रूप में इशारा किया है जिसने ज्ञान चंद पर गोली चलाई थी और उस आरोपी के पास ए.

जी.

एच.

उन्होंने अपना नाम अमरीक सिंह बताया)।एक तरफ खड़े आरोपी ने मेरी आँखों में मिर्च पाउडर डाल दिया था (गवाह द्वारा बताए गए आरोपी का नाम सुभाष चंद बताया गया है)।"

जिरह में उन्होंने निम्नानुसार गवाही दी थी:"मैंने पुलिस के सामने यह नहीं कहा था कि मिर्च पाउडर ने केवल मेरी दाहिनी आंख को प्रभावित किया था और मैंने इसे रगड़ने के बाद खोला।मैंने पुलिस के सामने कहा था कि हमारी आँखों में मिर्च पाउडर डाल दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप वे देखने की स्थिति में नहीं थे।"

बी.

XXX XXX XXX

सी.

"इस मामले की अनुसंधान के सिलसिले में मैं अक्सर पुलिस स्टेशन जाता रहा हूँ।अनुसंधान के दौरान अभियुक्तों को मुझे कभी नहीं दिखाया गया।)घटना से पहले, मैंने उन्हें एक या दो मौकों पर शहर में देखा था।मैंने जो घटना देखी है, उसके बाद उन्हें आज पहली बार कोर्ट में देखा।घटना के समय मुझे उनके नाम नहीं पता थे।मुझे नहीं पता कि घटना से पहले वे कहाँ रहते थे।जब मैंने पुलिस के सामने अपना बयान दिया तो मैंने केवल आरोपी की उम्र का खुलासा किया था, न कि उनके विवरण का।यह गलत है कि मैंने झूठा बयान दिया है, यह गलत है कि अभियुक्तों को पहले से जाना जाता था।यह और भी गलत है कि अभियुक्तों को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि प्रितपाल सिंह ने अगस्त/सितंबर 2001 के महीने में पुलिस के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी।"

डी.

ई.

6.4 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वादी के पहले बयान में प्राथमिकी के रूप में और अदालत के समक्ष बयान में कुछ विरोधाभास हैं।अदालत के समक्ष बयान में, उन्होंने यह बयान देकर मामले में सुधार करने की कोशिश की है कि उन्होंने एक या दो मौकों पर आरोपी को शहर में देखा था।एफ. आई. आर. में उपरोक्त का खुलासा नहीं किया गया था। यहां तक कि पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा स्वीकार की गई जिरह में भी उन्होंने आरोपी के बारे में कोई विवरण नहीं दिया।इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू1 ने विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि यह गलत है कि अभियुक्तों को पहले से जाना जाता था। उन्होंने केवल आरोपी की उम्र का खुलासा किया।मामले के उस दृष्टिकोण में टी. आई. पी. का संचालन आवश्यक था और इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अदालत में पहली बार पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा केवल उनकी पहचान पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।

एफ.

6.5 अब जहाँ तक मलखानसिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दी गई निर्भरता राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रस्तुतियों के समर्थन में भरोसा किया गया है कि टी. आई. पी. ठोस साक्ष्य नहीं है और वास्तव में मूल साक्ष्य यह है कि न्यायालय में पहचान का संबंध है, तथ्यों पर उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। यहां तक कि उक्त निर्णय में भी यह देखा गया है कि अदालत में पहचान के साक्ष्य के साथ कितना वजन जोड़ा जाना चाहिए, जो एक परीक्षण पहचान परेड से पहले नहीं है, तथ्य की अदालतों के लिए जांच करने का मामला है।इस न्यायालय के समक्ष मामले में, यह पाया गया कि अपराध दिन के उजाले में किया गया था; अभियोजक के पास अपीलार्थीगण की विशेषताओं को देखने का पर्याप्त अवसर था जिन्होंने एक के बाद एक उसके साथ बलात्कार किया; बलात्कार होने से पहले, उसे आरोपी द्वारा धमकी दी गई और सूचित किया गया; बलात्कार होने के बाद, उन्हें फिर से धमकी दी गई और उनके द्वारा डराया गया।ऐसे तथ्यों पर यह पाया गया कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें पहचान करने वाले गवाह के पास एक अंधेरी रात में आरोपी की केवल एक क्षणिक झलक थी।

बी.

सी.

डी.

6.6 इसी तरह, एम. डी. के मामले में इस न्यायालय का एक और निर्णय। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलाम (उपरोक्त) पर भरोसा करना भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।उक्त निर्णय में यह देखा गया है कि पहली बार मुकदमे में अभियुक्त व्यक्ति की मात्र पहचान का साक्ष्य स्वाभाविक रूप से एक कमजोर चरित्र का है।यह देखा गया है कि इसलिए टी. आई. पी. का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे मजबूत करना है।यह देखा गया है कि तदनुसार यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर अदालत में गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जाए कि आरोपी की पहचान उनके लिए अजनबी है, जो पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में है।यह आगे देखा गया है कि विवेक का उक्त नियम, हालांकि, अपवादों के अधीन है, जब, उदाहरण के लिए, न्यायालय किसी विशेष गवाह से प्रभावित होता है, जिसकी गवाही पर वह ऐसी या

अन्य पुष्टि के बिना सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है।इसलिए, तथ्यों पर यह देखा गया कि टी. आई. पी. आयोजित करने में विफलता अदालत में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी।यह आगे देखा गया है कि इस तरह की पहचान के साथ जोड़ा जाने वाला भार तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

6.7 यहां तक कि उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए और ऊपर वर्णित तथ्यों को देखते हुए, हमारी राय है कि अभियुक्त को केवल उनकी पहचान के आधार पर दोषी ठहराना सुरक्षित और/या विवेकपूर्ण नहीं होगा।

एच.

463

अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

ए.

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि दोनों, विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है।उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 और धारा 392 के साथ क्रमशः धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अस्थिर हैं और वे रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हैं और अभियुक्तों को उस उद्देश्य के लिए बरी किया जाना चाहिए जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।

बी.

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए अपील सफल होती हैं। भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 और धारा 392 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

सी.

अभियुक्तों को उन आरोपों से बरी कर दिया जाता है जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।अपीलार्थीगण-अभियुक्तों को तुरंत रिहा कर दिया जाए, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है।

डी.

तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.